

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

आभिलेख संख्या- 47/16-17

वाद का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने सं

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- श्री 0 सीता देवी

पिता/पति- मखन हरिजन

मौजा- 4261

थाना नम्बर- 12

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 54/10

दाग नम्बर- 368/10

रकबा- 00.03-00 41

तिथि

आदेश

मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रब दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूकु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रब दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रब दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रब दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद

बंदोबस्त रैयत श्री 0 सीता देवी

पिता/पति..... मखन हरिजन मौजा- 4261 को

उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 28.10.16 को

अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी

मेहरमा।

अंचल अधिकारी

मेहरमा।

28.10.16

अभिलेख उपस्थापित / गॉड्डा में बैठक, अभिलेख
दिनांक 03.11.16 को उपस्थापित करें।

लेखापत्र

अंश
मेहरमा

अंश अधिकारी
मेहरमा

23/03/2023

अभिलेख उपस्थापित। वादी को उनके
दावे के संबंध में प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 13/04/2023
को अलोस्मादारी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सूचना दें।
लेखापत्र

अंश अधिकारी
मेहरमा।

अंश अधिकारी
मेहरमा।

22/6/2023

अभिलेख उपस्थापित। वादी को उनके दावे के
सम्बन्ध में प्रमाण/कागजात के साथ अपना पक्ष रखने हेतु
दिनांक को उपस्थित के सम्बन्ध में अंतिम नोटिस
निर्गत करें।
लेखापत्र

अंश अधिकारी
मेहरमा।

अंश अधिकारी
मेहरमा।

2/6/2016

21/04/2016 अग्निलेख उपस्थापित वादी को सीता देवी
प्रेष/पक्ष - 19. भव्य हरीना मोथा - पक्षा का
संदेह एवम वंदेवल्ली का अमला प्रकाश में
आया है, कार्यवाही के लक्षण कादी को मोथि
द्वारा भूति वंदेवल्ली का श्रुत दासवेन
की भांग को अग्निलेख दिनांक 19/04/2016
को एवे/प्रस्तुत करें।

मोथिपक्ष
डॉ. आ

डॉ. अमल अग्निलेख
पक्ष (प)

20/04/2016
23/04/2016

अग्निलेख उपस्थापित वादी उपस्थित -
वादी मो. सीता देवी, पक्ष - भव्य हरीना
द्वारा मोथा - पक्षा का भूति वंदेवल्ली -
का ~~पक्ष~~ पक्ष का नकल का प्रती आवे
पक्ष के साथ समर्पित किया है जिस वा. भूति -
वंदेवल्ली अग्निलेख सं. 66/84-85, जिसका
मोथा - पक्षा सं. 12, वा. वा. सं. 5 वा. 10
का सं. 368/10 के अंश 03 (लीन) कड़ा भूति
अवृत्त पक्षा मोथा - द्वारा निगो है एवं एवं एवं
पक्ष के 12 उपस्थित प्रती के ~~पक्ष~~ मोथा -
मोथा - पक्षा सं. 12 के वा. वा. सं. 5 वा. 10 एवं
सं. 368/10 एवं 0.062 जी. पं. वा. सं. 4 एवं
कि एव पक्ष की कदीन, वंदेवल्ली (पक्ष मोथा -
द्वारा, पक्ष भव्य हरीना का भूति पक्ष के पक्ष का
पूर्व लगान एवे. वर्ष 2016-17 तक निगो

जिसरी दाया/प्रा. संलग्न है,
अतः बाद के बाद को होना

हो-जाती है /

नदरदा (अभिलेख) अग्रपुत्र (है)

मो.प्र.प्र.।
५/२३/२०२३
अं.अ.

५/२३/२०२३
अं.अ.
ने.प्र.